भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 711

उत्तर देने की तारीख : 04.12.2025

"असम में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम"

711. मोहम्मद रकीबुल हुसैनः

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत पांच वर्षों के दौरान असम में क्षेत्र-वार पंजीकृत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की संख्या कितनी है;

(ख) उक्त इकाइयों के समक्ष क्या चुनौतियां हैं; और

(ग) उक्त इकाइयों के लिए ऋण प्रवाह को बेहतर बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) : वर्ष 2020 में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को परिभाषित करने के लिए निवेश और टर्नओवर के युग्मित मानदंड के आधार पर एक संशोधित परिभाषा को अपनाया गया था। तदनुसार, पैन धारित उद्यमों के पंजीकरण के लिए दिनांक 01.07.2020 को उद्यम पंजीकरण पोर्टल (यूआरपी) की शुरुआत की गई थी। अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों (आईएमई) अर्थात ऐसे उद्यम, जिन्हें जीएसटी फाइल करने से छूट मिली है, को औपचारिक बनाने के लिए दिनांक 11.01.2023 को उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म (यूएपी) की शुरुआत की गई थी। असम राज्य में विगत पांच वित्तीय वर्षों (दिनांक 01/04/2021 से दिनांक 30/11/2025 तक) के दौरान उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर पंजीकृत क्षेत्र-वार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का विवरण अनुबंध-I के रूप में संलग्न है।

(ख) और (ग) : क्रेडिट फ्लो को बढ़ाने के लिए सरकार विभिन्न स्कीमों का क्रियान्वयन करती है, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की कुछ महत्वपूर्ण स्कीमें, जो छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में एमएसएमई को क्रेडिट सहायता प्रदान करती है, वे नीचे दी गई हैं:-

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को परिभाषित करने के लिए दिनांक 01.07.2020 को निवेश और टर्नओवर के युग्मित मानदंडों के आधार पर एक संशोधित परिभाषा को अपनाया गया और एमएसएमई के पंजीकरण के लिए उद्यम पंजीकरण पोर्टल (यूआरपी) की शुरुआत की गई। अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों (आईएमई) को एमएसएमई के औपचारिक दायरे में लाने के लिए दिनांक 11.01.2023 को उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई थी। एक बार जब कोई कंपनी औपचारिक हो जाती है, तो वह दिशानिर्देशों के अनुसार पात्रता मानदंड़ों को पूरा करने पर विभिन्न स्कीमों का लाभ उठाने के लिए पात्र हो जाती है। सरकार की विभिन्न स्कीमों और उपायों के अंतर्गत, समावेशिता सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रोत्साहनों का प्रावधान किया गया है। उदाहरण के लिए, सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम (सीजीएस) के अंतर्गत, एमएसई को 500 लाख रुपए (दिनांक 01.04.2023 से प्रभावी) की सीमा तक कोलेटरल मुक्त ऋण प्रदान किया जाता है, जिसमें विभिन्न श्रेणियों के ऋणों के लिए 90% तक की गारंटी कवरेज प्रदान की जाती है।

एमएसएमई क्षेत्र को सहायता प्रदान करने तथा उसे सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार विभिन्न उपायों का कार्यान्वयन करती है, जिसमें अन्य उपायों के साथ-साथ उद्यमों के औपचारिकीकरण के उपाय, वित्तीय सहायता तक पहुंच प्रदान करने के उपाय, विपणन सहायता, प्रौद्योगिकीय सहायता, अवसंरचना, कौशल आदि शामिल हैं।

(i) वित्त तक सुगम पहुंच प्रदान करने के लिए सीजीएस के अतिरिक्त, बैंक ऋण पर मार्जिन मनी सब्सिडी प्रदान कर गैर-कृषि क्षेत्र में नए सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के लिए प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), संयंत्र और मशीनरी/उपकरण की खरीद के लिए संस्थागत वित्त पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के स्वामित्व वाले एमएसई को 25% सब्सिडी के प्रावधान के साथ विशेष क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम, पीएम विश्वकर्मा योजना, प्रधान मंत्री मुद्रा योजना आदि जैसी स्कीमें कार्यान्वित की जाती हैं।

(ii) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए सार्वजनिक खरीद नीति आदेश, 2012, सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) को सुनिश्चित बाजार हिस्सेदारी प्रदान करता है। खरीद और विपणन सहायता स्कीम (पीएमएसएस) एमएसई को व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों, वेंडर विकास कार्यक्रमों, आधुनिक पैकेजिंग तकनीक को अपनाने, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म आदि में सहभागिता के माध्यम से बाजार तक पहुंच के लिए लाभ प्रदान करती है।

(iii) देश में प्रौद्योगिकी केंद्रों/टूल रूमों का नेटवर्क एमएसएमई को उन्नत विनिर्माण प्रौद्योगिकियों, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास तथा व्यावसायिक परामर्श सेवाओं तक पहुंच प्रदान कर उन्हें प्रतिस्पर्धी बनाने में सहायता प्रदान करता है। प्रमाणन स्तरों की बेहतर प्रभावकारिता और गुणवत्ता एवं प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए जेड 2.0 स्कीम शुरू की गई है। एमएसई को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए व्यापार सक्षमता और विपणन स्कीम की शुरूआत की गई है।

(iv) मौजूदा क्लस्टरों में सामान्य सुविधा केन्द्रों (सीएफसी) की स्थापना करने और नए/मौजूदा औद्योगिक संपदाओं/क्षेत्रों/फ्लैटेड फैक्ट्री परिसरों में अवसंरचना सुविधाओं की स्थापना/उन्नयन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके सरकार एमएसई की उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए सूक्ष्म और लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम का कार्यान्वयन करती है।

(v) उद्यमिता और कौशल विकास कार्यक्रम नए उद्यमों को बढ़ावा देता है, मौजूदा एमएसएमई की क्षमता का निर्माण करता है और देश में उद्यमशीलता की संस्कृति विकसित करता है।

*****

अनुबंध-I

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 711, जिसका उत्तर दिनांक 04.12.2025 को दिया जाना है, के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध ।

वित्त वर्ष	विनिर्माण	सेवा	व्यापार	कुल
2021-22	22,725	29,464	19,241	**71,430**
2022-23	37,317	27,858	66,952	**132,127**
2023-24	97,802	93,217	210,817	**401,836**
2024-25	151,292	106,700	211,713	**469,705**
2025-26 (दिनांक 30/11/2025 तक)	75,555	69,012	117,917	**262,484**
कुल:-	**384,691**	**326,251**	**626,640**	**1,337,582**
रिपोर्ट की तिथि:- दिनांक 01/12/2025 सांय 07:35 बजे				

स्रोत: उद्यम पंजीकरण पोर्टल